

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1562 /

जबलपुर, दिनांक 30 / 06 / 2020

श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटैन्डेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 01.06.2020 से दिनांक 17.06.2020 तक लगातार बिना अनुमति, बिना सूचना तथा बिना आवेदन पत्र के अपने कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उनके कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा अनुपस्थिति अवधि का निराकरण होने तक वेतन का भुगतान आगामी आदेश तक रोका जाता है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1563 /

जबलपुर, दिनांक 30 / 06 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटैन्डेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)